

न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या- 12/19

सन् 2019

आरसीएमएस संख्या 2019/00043

बउनवानी :- 1. रसीद पुत्र याकूब जाति मुसलमान निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर, जिला सवाईमाधोपुर
बनाम

1. सभापति नगर परिषद गंगापुर सिटी
2. आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरुद्ध उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी मे जैरकार प्रकरण संख्या 33/2018 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रसीद बनाम सभापति अन्तर्गत धारा 235 आर.टी. ऐक्ट)

उपस्थित: 1. श्री आबिद अली
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

वकील प्रार्थीगण
वकील अप्रार्थीगण

—: निर्णय :-

दिनांक 1.10.2019

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी में विचाराधीन प्रकरण संख्या 33/2018 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रसीद बनाम सभापति के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों की खातेदारी की भूमि हाल ख0न0 6 रकबा 1.14 है0 ग्राम मिर्जापुर में स्थित है। प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों मे मौके पर हिस्से अनुसार भूमि का बटवारा कर रखा है। ख0न0 6 की पुख्ता बाउण्ड्रीवाल, फसल की जानवरो से सुरक्षा के लिये प्रार्थी ने बना रखी है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि व मुख्य सड़क के बीच मे चरागाह भूमि हाल ख0न0 1149/4 है। इस चरागाह मे होकर ही 100 साल से अधिक समय से खेत में आने जाने का रास्ता रहा है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत मे आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। खातेदार को बाउण्ड्रीवाल बनाने के लिये तहसीलदार व अन्य किसी भी अधिकारी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। एक खातेदार बिना किसी अनुमति के बाउण्ड्रीवाल बना सकता है। लेकिन नगर परिषद सभापति प्रार्थी से व्यक्तिगत द्वेषता रखता है इसलिए प्रार्थी की बाउण्ड्रीवाल को तुडवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा व प्रार्थना पत्र टी.आई.पेश कर दिये जिसपर पूर्ववर्ती उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा प्रार्थी के दावे को सही मानते हुए स्थगन जारी कर दिया लेकिन अब विजेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी राजनैतिक दबाव में आ गये है तथा राजनैतिक दबाव मे आकर प्रार्थी के खिलाफ निर्णय पारित करने पर आमादा है। सभापति भी आये दिन उनके पास आकर तारीख पेशी पर बैठ रहते है तथा सभापति ने भी प्रार्थी से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मेरी उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से बात हो चुकी है। जल्दी ही स्टे को खत्म करवाकर बाउण्ड्रीवाल तुडवा दूंगा। प्रार्थी ने बाउण्ड्रीवाल अपनी खातेदारी की भूमि मे ही निर्माण करवायी है। उसके बावजूद भी राजनैतिक द्वेषता के कारण सभापति प्रार्थी की बाउण्ड्रीवाल को तुडवाने पर आमादा है। प्रार्थी को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है इसलिए उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहाँ विचाराधीन

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मामला संख्या 33/18 रसीद बनाम सभापति को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निराधार एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा बनायी गयी बाउण्ड्रीवाल अवैध है जिसको तुडवाने की कार्यवाही नगर परिषद द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 4.7.2018 को उपजिला कलेक्टर न्यायालय गंगापुर सिटी से स्थगन प्राप्त कर लिया है। अब उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम बहस होनी है इसलिए उक्त स्थगन को बनाये रखने एवं प्रकरण में दैरीना करने की गरज से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वकील अप्रार्थी द्वारा यह तर्क भी दिया कि श्रीमान द्वारा उक्त प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि भूमि ख0न0 6 रकबा 1.14 है0 ग्राम मिर्जापुर में स्थित है एवं यह भूमि प्रार्थी रसीद पुत्र याकूब व अन्य लोगो की सहखातेदारी में दर्ज है प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं मुख्य सड़क के बीच में चरागाह भूमि है यह दावा प्रार्थी ने सभापति/आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जिसमें नगर परिषद की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी एवं अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सी.पी.सी प्रस्तुत किये हुए है जिनकी बहस में पत्रावली चल रही है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना निराधार एवं असत्य तथ्यों पर आधारित है। न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात मेरिट के आधार पर निर्णय किया जाता है। प्रार्थी द्वारा मौके पर अवैध निर्माण किये जाने की पूर्ण सम्भावना है। उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थीगण द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय गंगापुर सिटी के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नहीं होती है। किन्तु वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की गयी है। ऐसी स्थिति में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 33/18 रसीद बनाम सभापति को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना स्वीकार किया जाकर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 33/18 रसीद बनाम सभापति को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय से सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की पत्रावली दिनांक 30.10.2019 से पूर्व सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान दिनांक 30.10.2019 को न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।
निर्णय आज दिनांक 1.10.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

